

फर्द अहकाम
(नियम-26)

अज अदालत.....उप जिला कलक्टर मुकाम

रायसिंहनगर

रिश्ता ला-साला बनाम

तरुण

किस्म मुकदमा

दुस्ती

मुकदमा नं.

123
7/6/18

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तानील में जारी हुए
7/6/18	<p>आज यह पत्रावली तहसीलदार (भू.अ.) रायसिंहनगर के पत्र क्रमांक/18/209 दिनांक 7/6/18 के द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आप के द्वार 2018 " कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत में प्रार्थीगण के नाम चक दरियावादी की जमाबन्दी सम्वत् 2071-2074 के खाता नं. 108 में खातेदार शिशपाल 51 मोदक अंकित है। जिसका नाम रिश्ता है। जिसकी शिशपाल 51 मोदक के खातेदार रिश्ता 51 मोदक की दुरुस्ती की जाने की अभिशाषा की है। उक्त प्रकरण में तहसीलदार(भू.अ.) रायसिंहनगर की रिपोर्ट दिनांक 7/6/18 की पृष्टि मजमआम में उपस्थित ग्राम वारिसान व सरपंच ने की है। उक्त विवेचन के आधार पर वाके चक 51 मोदक के खातेदार रिश्ता 51 मोदक की दुरुस्ती की जाती है। बाकी अंकन बदस्तुर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्ती की जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार के नाम जारी हो। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फैसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो। आदेश खुले मजमआम में सुनाया गया।</p>	

राजस्व लोक अदालत
न्याय आपके द्वार-2018
कैम्प कोर्ट 7/6/18
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर